वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा

प्रबंध मंडल की 107 वीं बैठक
14 सितंबर, 2023

कार्यवाही विवरण

प्रबंध मण्डल की 107 वीं बैठक दिनांक 14 सितंबर, 2023 को मध्यान्ह बाद 03.00 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित कुलपति सचिवालय के बैठक कक्ष में माननीय कुलपति महोदय, की अध्यक्षता में (ऑनलाईन/ऑफलाईन) आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:—

1. डॉ0 कैलाश सोडाणी कुलपति; वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	अध्यक्ष
2. डॉ0 सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान संत विनोबा पी.जी.कॉलेज, देवरिया—उ0प्र0	सदस्य
3. प्रो0 मनरूप सिंह समकुलपति, इं.गा.रा.मु.वि.वि. नई दिल्ली।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
4. डा0 सतीश कुमार सैन संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा(ग्रुप—4) विभाग प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव, उ.शिक्षा विभाग राज0सरकार।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
5. आशीष शर्मा, कोषाधिकारी,कोटा। प्रतिनिधीः—संभागीय आयुक्त,कोटा ।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)
6. प्रो0 बी0 अरूण कुमार आचार्य, राजनीति विज्ञान, वमखुविवि,कोटा।	सदस्य
7. डॉ0 जितेन्द्र कुमार शर्मा निदेशक, क्षे.के.,।	सदस्य (ऑनलाईन उपस्थित)

8. श्री महेश चंद मीना
नियंत्रक (वित्त)
व0म0खु0वि0वि,कोटा।

विशेष आमंत्रित

9. श्री के.के. गोयल
कुलसचिव
वमखुविवि,कोटा।

सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। सदन का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने NAAC द्वारा दिनांक 20 से 22 सिंतबर 2023 की पुनः विजिट के सम्बन्ध में सदन को जानकारी प्रदान किए जाने के बाद कुलसचिव ने माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक का बिन्दुवार कार्यसूची विवरण प्रस्तुत करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिए गएः—

107/01 प्रबंध मंडल की 106वीं बैठक दिनांक 17 अगस्त 2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि का प्रस्ताव एवं निर्णयों पर अब तक हुई कार्यवाही की सूचना।

प्रबंध मंडल की 106वीं बैठक के कार्यवाही विवरण को अनुमोदित करते हुए बैठक के निर्णयों के क्रम में की गई अनुपालना पर संतोष व्यक्त किया गया।

107/02 यू0जी0सी0 रेग्यूलेशन 2018 के तहत विश्वविद्यालय में कार्यरत पात्र शिक्षकों को सी0ए0एस0 के अंर्तगत (A.L. 12 to 13A) एवं (A.L. 13A to 14) पदोन्नति प्रदान करने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अधिकारियों को नियुक्ति हेतु चयन के लिए अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत गठित विभिन्न चयन समितियों की दिनांक 10.09.23 को आयोजित बैठकों के कार्यवाही विवरणों का अवलोकन एवं अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा से पूर्व सदस्य डॉ0 अनिल कुमार जैन द्वारा सदन को बताया कि चूंकि इस प्रस्ताव में वे स्वंय भी एक अभ्यर्थी है, इसलिए उनका प्रस्ताव पर चर्चा/निर्णय में भाग लिया जाना उचित नहीं रहेगा, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से डा0 अनिल कुमार जैन प्रस्ताव पर निर्णय होने तक सदन से बाहर रहे। तत्पश्चात् दिनांक 10 सितंबर 2023 को आयोजित विभिन्न चयन समितियों की अनुशंषाओं को सदन के समक्ष

रखा गया, चयन समिति की अनुशंषाओं को प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित करते हुए निम्नलिखित शिक्षकों को सी0ए0एस0 के अंर्तगत (A.L. 12 to 13A) एवं (A.L. 13A to 14) पदोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया :–

<u>सहायक आचार्य से सह आचार्य के पद पर पदोन्नतिः–</u>

<u>(एकेडेमिक लेविल 12 से 13 A के तहत)</u>

क्रम संख्या	शिक्षक का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति उपरांत पद
01	डा0 अनुरोध गोधा	सहा0 आचार्य, वाणिजय	सह आचार्य–वाणिजय
02	डा0 श्रीमती अनुराधा दुबे	सहा0 आचार्य, बॉटनी	सह आचार्य– बॉटनी
03	डा0 श्रीमती क्षमता चौधरी	सहा0 आचार्य, अंग्रेजी	सह आचार्य– अंग्रेजी
04	डा0 श्रीमती कीर्ति सिंह	सहा0 आचार्य, शिक्षा	सह आचार्य– शिक्षा

<u>सह आचार्य से आचार्य के पद पर पदोन्नतिः–</u>

<u>(एकेडेमिक लेविल 13 A से 14 के तहत)</u>

क्रम संख्या	शिक्षक का नाम	वर्तमान पद	पदोन्नति उपरांत पद
01	डा0 अनिल कुमार जैन	सह आचार्य शिक्षा	आचार्य–शिक्षा
02	डा0 सुबोध कुमार	सह आचार्य पत्रकारिता	आचार्य–पत्रकारिता

107/03(1) ए0सी0बी0 में दर्ज प्राथमिकी संख्या 87/2017 के सम्बन्ध में सेवानिवृत्त आचार्य श्री एल0आर0 गुर्जर द्वारा माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.23 के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुलसचिव द्वारा प्राथमिकी एवं उसमें आरोपी बनाए गए कुल 09 व्यक्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी से सदन को अवगत करवाते हुए बताया कि कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के पत्र संख्या 11219 दिनांक 24.09.2021 द्वारा निम्नलिखित तीन व्यक्तियों को आरोपी बनाये जाने एवं चालान प्रस्तुत किए जाने की सूचना प्रदान की गई है:–

1. प्रो. कर्ण सिंह, तत्कालीन निदेशक, सामग्री उत्पदान एवं वितरण विभाग,वमखुविवि,कोटा।
2. श्री सुरेश चंद्र शर्मा, तत्कालीन नियंत्रक, वित्त,वमखुविवि,कोटा।

3. श्री अमित अग्रवाल, प्रोपराइटर, सरस्वती प्रेस मथुरा।

ए0सी0बी0 द्वारा अपने उक्त पत्र में शेष अन्य आरोपियों के विरूद्व संलिप्तता नहीं पाए जाने का उल्लेख किया है। प्रो0 सत्य प्रकाश मणि द्वारा विधिक राय के सम्बन्ध में जानकारी चाही जाने पर एडवोकेट से प्राप्त विधिक राय से सदन को एवं माननीय सदस्य को अवगत करवाते हुए बताया गया कि ए0सी0बी0 न्यायालय कोर्ट, कोटा की आर्डर शीट दिनांक 26.08.2022 में भी उपरोक्त तीन आरोपियों के विरूद्व प्रसंज्ञान लेते हुए अंकित किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण श्री सुरेश चन्द शर्मा, श्री करण सिंह तथा अमित अग्रवाल पर प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया गया एवं उक्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत विभिन्न धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया है।

सदन द्वारा संपूर्ण प्रकरण पर विचार विमर्श उपरांत यह पाया गया कि जिन तीन आरोपियों के विरूद्व ए0सी0बी0 द्वारा न्यायालय में दिनांक 12.10.2021 को चार्जशीट फाईल की गई है, के अलावा निम्नलिखित 06 व्यक्तियों की अपराध में संलिप्तता नहीं पाई गई है:–

1. श्री लीला राम गुर्जर
2. श्री डी0के0 सिंह
3. श्री पतंजलि मिश्रा
4. श्री अभिषेक नागर
5. श्री सुबोध कुमार अग्निहोत्री
6. श्री बी0 अरूण कुमार

प्रस्ताव पर सदन के द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाज्ञार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 11219 दिनांक 24.09.21, ए.सी.बी न्यायालय, कोर्ट कोटा की आर्डरशीट एवं एडवोकेट से प्राप्त विधिक राय के परिपेक्ष्य में पुलिस द्वारा डा0 बी0 अरूण कुमार, श्री डी0के0 सिंह,श्री अभिषेक नागर, डॉ0 पतंजलि मिश्रा, डॉ0 सुबोध कुमार अग्निहोत्री एवं डॉ0 एल0आर0 गुर्जर के विरूद्व कार्यवाही किया जाना संभावित भी नहीं है। अतः इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सदन के द्वारा उक्त 06 कार्मिकों के समस्त देय परिलाभ जारी कर दिए जाने का निर्णय पारित किया गया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

15/9/23

कुलसचिव
सचिव, प्रबंध मंडल